प्रतिलेखन संख्या 13

महोदय, यह भी विचार किया गया है कि जो व्यक्ति समाज में काम करता है चाहे आविष्कार का काम करे चाहे दूसरा कोई काम करे उसको उस काम में तब तक सफलता नहीं मिल सकती है जब तक कि समाज का सहयोग या समाज ने जो परिश्रम किया है या कुछ आविष्कार किया है उसका उपयोग उसको प्राप्त न हो, उसका उपयोग वह न कर सके। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु का आविष्कार करता है तो आविष्कार करने में न केवल उसका अपना परिश्रम रहता है लेकिन साथ ही साथ समाज ने जो काम किया होता है चाहे विज्ञान के क्षेत्र में या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में उस सबसे भी वह लाभान्वित होता है। इसलिए जब हम किसी आविष्कारक के किसी आविष्कार के अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं तो उसके साथ–साथ यह भी विचार हमारे दिमाग में आता है जिस व्यक्ति ने समाज की सहायता से आविष्कार किया है, उस समाज को भी उसका फल अधिक से अधिक मिलना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि पेटेन्ट ला इस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए।

मैं समझता हूँ कि पेटेन्ट ला के पीछे दो सिद्धांत निश्चित हैं। पहला सिद्धांत तो यह है कि जो व्यक्ति परिश्रम करे, धन लगाकर, अपना दिमाग लगाकर के किसी वस्तु का आविष्कार करता है,

उसके तथा अपने परिवार के लोगों के अधिकारों की जहाँ रक्षा होनी चाहिए उसके साथ ही साथ

जैसा मैंने अभी कहा है कोई व्यक्ति समाज में व्यर्थ में काम नहीं करता है वरन् पिछले समाज के

लोगों ने जो–जो काम किए होते हैं चाहे विज्ञान के क्षेत्र में या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या किसी

अन्य क्षेत्र में और जिनके आधार पर वह कोई आविष्कार करता है उसको उस का प्रतिफल तो मिले

लेकिन जो परिणाम हो, उसका प्रतिफल समाज को भी मिलना चाहिए। मंत्री महोदय ने कहा है कि

जो यह सिद्धांत है वह भी इस विधेयक के पीछे स्थापित किया गया है और इस बात का ध्यान

रखा गया है कि जहाँ हम किसी व्यक्ति के आविष्कार के जो अधिकार हैं चाहे धन के उपार्जन का

अधिकार हो, या प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अधिकार हो, उसे प्रतिष्ठा का और चाहे धन का दोनों का

लाभ व्यक्ति विशेष को भी मिले।